न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 174/2019

GCMS No. : 2019/00286

–: प्रार्थी :–

1. श्रीनिवास पुत्र श्री चम्पालाल जाति–ब्राहम्ण निवासी–जैतारण तहसील–जैतारण जिला–पाली राज. हाल हैदराबाद जरिये आम मुख्तियार भगवान व्यास पुत्र कन्हैयालाल जी व्यास जाति ब्रहाम्ण निवासी–ग्राम निमाज तहसील–जैतारण।

बनाम

–: अप्रार्थीगण :–

1. नारायण पुत्र बंशीलाल जाति–कुम्हार निवासी–बांझाकुडी तहसील–जैतारण।
2. चम्पादेवी पत्नि नारायणलाल जाति–कुमावत निवासी–बांझाकुडी।
3. शारदादेवी पत्नि विशनाराम जाति–जाट निवासी–नोबल स्कूल के सामने, जैतारण।
4. माधवदास वैरागी नागा साधु गुरु कृष्णदास जी वैरागी नागासाधु जाति–जाट निवासी नोबल स्कूल के सामने जैतारण।
5. तहसीलदार एवं भू अभिलेख तहसील कार्यालय, जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:.12/12/2019

उपस्थितः–

1. श्री शाकिर हुसैन, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थी।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 23/11/2020**

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि कस्बा जैतारण की सीमा में खसरा नंबर 938 रकबा 04 बीघा किस्म बारानी दोयम कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी की स्थित है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 तक साथ पेश है। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि के चारों तरफ मिट्टी की खन्दक लगी हुई थी। प्रार्थी की उक्त खातेदारी की कृषि भूमि की जो खन्दक को अप्रार्थीगण ने बलपूर्वक तोड़कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि में अतिक्रमण करने पर आमादा है एवं प्रार्थी की मिट्टी की खन्दक को तोड़कर उसको नष्ट कर मौके पर प्रार्थी की भूमि पर अतिक्रमण करना प्रारम्भ कर दिया हे। यह तथ्य प्रार्थी को दिनांक 08.12.2019 को मौके पर गाया तब प्रार्थी को जानकारी हुई कि उसकी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि पर पड़ौसी खेत वाले अप्रार्थीगण ने मिट्टी की खन्दक तोड़कर सीमा का विवाद कर अतिकमण करना प्रारम्भ कर दिया एवं सीमाकन का विवाद ... कर दिया है। प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि के पड़ौसी अ... मौका ...कर प्रार्थी के खेत के चारों तरफ स्थित मिट्टी के पाल ... करवा

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2020.11.27 16:03:53 IST
Reason: SelfAttested

प्रारम्भ कर दिया है प्रार्थी को दिनांक 08.12.2019 को जानकारी होने पर मौके पर गया एवं अप्रार्थीगण को समझाया कि आपकी और मेरी जमीन का नापचौप व सीमाज्ञान करवा लेते है तब अप्रार्थीगण ने स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया एवं अप्रार्थीगण ने एलानिया धमकी दी कि हम तो तुम्हारी जमीन में अतिक्रमण कर तेरी जमीन हड़प लेंगे। इस प्रकार प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य कृषि भूमि की सीमा का विवाद है इसलिए प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि खसरा नंबर 943, 937/3 तथा प्रार्थी द्वारा पूर्व में अप्रार्थी संख्या 04 को अपने हिस्से की जमीन में से 05 बीघा जमीन का बेचान किया था। इसलिए उक्त सभी अप्रार्थीगण आये दिन सीमा का विवाद खड़ा कर देते है। इसलिए उक्त प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 938 व पड़ौसी खेत वाले अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 943, 937/3 का सीमाज्ञान कर नापचौप कर पत्थरगड़डी कर मुडडागडडी करवायी जाने बाबत यह प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के समक्ष सादर पेश है। अप्रार्थीगण सीमा विवाद में यदि किसी तरह की कोई व्यवधान व पैचीदगिया अथवा झगड़ा टंटा करे एवं सीमाकंन तथा पत्थरगढी करने में बाधा अड़चन उत्पन्न करें तो जरिये पुलिस इमदाद के उक्त सीमाकंन व पत्थरगढी की जावे। न्यायहित में आदेश फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 02 से 03 की ओर वकालतनामा पेश हुआ। अप्रार्थीगण संख्या 01 व 04 बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 02 व 03 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ। जवाब प्रार्थना पत्र में जाहिर किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 का जवाब है कि खसरा संख्या 938 रकबा 04 बीघा की जमीन कस्बा जैतारण में प्रार्थी की आई हुई हो तो अप्रार्थीगण जवाब देहन्दा को कोई जानकारी नहीं है क्योकि प्रार्थी का मौके पर पजेशन नहीं है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 का जवाब है कि प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि के चारों तरफ कोई मिट्टी की खन्दक नहीं लगी हुई है जमीन मौके पर खाली पड़ी है जिस पर जवाब देहन्दा कोई अतिक्रमण नहीं कर रहे है, न ही जवाब देहन्दा ने प्रार्थी की खातेदारी भूमि में कोई हस्तक्षेप किया, न ही कोई सीमा का विवाद किया। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी मौके पर अलग अलग बंटी हुई है खसरा नंबर अलग है। प्रार्थी का मौके पर कब्जा नहीं होने से कब्जा प्राप्त करने के लिए यह झूठा प्रार्थनापत्र अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 का जवाब है कि प्रार्थी जैतारण में निवास नहीं करता है तथा न ही वह कभी काश्त करने के लिए मौके पर आया प्रार्थी को यह भी जानकारी नहीं है कि उसकी जमीन कहां पर स्थित है। मात्र कब्जा नहीं होने से इस प्रार्थना पत्र की आड में कब्जा करना चाहता है। इसलिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध बेबुनियादी आरोप लगाकर यह झूठा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जबकि जवाब देहन्दा प्रार्थी को जानते तक नहीं है इसलिए धमकी देना, जमीन हड़प करना, अतिक्रमण करना आदि के कथन पूर्णतया झूठे है। जवाब देहन्दा ने कभी कोई सीमा को लेकर विवाद नहीं किया। क्योंकि जब प्रार्थी कभी काश्त करने आया ही नहीं तो सीमा विवाद करना, काश्त में दखलन्दाजी करना आदि के कथन पूर्णतया झूठे है। यदि सीमा का विवाद होता तो प्रार्थी तहसील कार्यालय में जाकर के विधिवत रूप से सीमाज्ञान या नापचौप की कार्यवाही करता जबकि प्रार्थी ने ऐसा नहीं करके यह झूठा प्रार्थना पत्र कब्जा प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत किया है, जो पोषणीय नहीं है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 का जवाब है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के सम[illegible] में कोई सीमा विवाद नहीं है इसलिए श्रीमान को क्षेत्राधिकार नहीं है। [illegible] राजस्व न्यायालय से कोई आदेश प्रार्थी प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रार्थना पत्र के पद

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bisl
Date: 2020.11.27 16:03:35 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 05 का जवाब है कि जब जवाब देहन्दा ने कभी कोई सीमा विवाद किया ही नहीं, न ही मौके पर कोई झगड़ा किया, दोनों की आराजी अलग अलग है तो किसी तरह की प्रार्थी पुलिस इमदाद प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। यदि प्रार्थी को अपनी जमीन का नापचौप करवाना है तो तहसील कार्यालय से आदेश करवाकर नापचौप करवा सकता है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि प्राथी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आधारहीन तथ्यों पर आधारित है प्रार्थी ने नापचौप के लिए तहसील कार्यालय में कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया। इसलिए सीधे ही सीमाज्ञान व पत्थरगढी का आदेश प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खर्चा मय खारिज फरमावे।

पत्रावली और उसपर उपलब्ध दस्तावेजात का गहन अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जमाबन्दी संवत् 2073-2076 ग्राम- जैतारण, तहसील- जैतारण के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी खसरा संख्या 938 रकबा 4-00 बीघा वादग्रस्त आराजी का अभिलिखित खातेदार है। पटवारी एवं भू. अ. नि. जैतारण द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द दिनांक 19.09.2020 एवं नक्शा ट्रेस के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की आराजी की सीमाएं परस्पर लगती हुई हैं। प्रत्येक खातेदार का यह अधिकार है कि उसे अपनी खातेदारी आराजी की सीमाओं का ज्ञान हो, वह इस हेतू सीमांकन करवा सके एवं सीमाओं पर सीमा चिन्ह् लगवा सके ताकि वह अपने खातेदारी अधिकारों का स्वतंत्रता से उपभोग एवं उपयोग कर सकें। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के खण्डन हेतू कोई सारवान दस्तावेजी तथ्य प्रस्तुत नही किए है। अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार करते हुए तहसीलदार जैतारण को प्रार्थी की एवं प्रार्थी की आराजी से लगती आराजी का समयानुसार सीमाज्ञान करवाते हुए प्रार्थी के खर्चे पर प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढ़ी करवाए जाने का निर्देश प्रदान करना विधिसंगत एवं उचित समझते हैं।

-: आदेश :-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 128, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 भलीभांति साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि वह धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रार्थी की खातेदारी आराजी ग्राम- जैतारण, खसरा संख्या 938, रकबा 4-00 बीघा किस्म बारानी दोयम एवं इससे लगती अप्रार्थीगण की आराजी का मौके पर माप करवाते हुए सीमांकन करें तथा प्रार्थी की आराजी का प्रार्थी के व्यय पर मौके पर पत्थरगढ़ी करवाएं/वक्त कार्यवाही उभयपक्षकारान मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार उभयपक्षकारान मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार, जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण,
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनांक 23/11/2020 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bish
Date: 2020.11.27 16:03:35 IST
Reason: SelfAttested